

राजकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ

- राजकीय विद्यालयों में योग्यताधारी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- विद्यार्थी एवं विद्यालय के विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति संचालित, जिसमें अभिभावक, जन प्रतिनिधि, विद्यार्थी स्वयं तथा शिक्षक की सहभागिता।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक महीने में आयोजित।
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) एवं विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा।
- कक्षा 8 में ए ग्रेड या इससे ऊपर के मेधावी पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण।
- कक्षा 7 व 8 के योग्य विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु, अन्य पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ी जाति आदि वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति देय।

बालक-बालिकाओं का प्रवेश राजकीय विद्यालयों में कराएँ।
निःशुल्क शिक्षा दिलाएँ, सबको पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ।।



राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

संघनित पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अध्ययन

कक्षा स्तर : 3

(आयु वर्ग अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु)



राजकीय विद्यालयों में
निःशुल्क
वितरण हेतु

“आपकी सजगता, बच्चों की सुरक्षा”



बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार

20/198, सेक्टर-2, कावेरी पथ, के.एल. सैनी स्टेडियम के पास मानसरोवर, जयपुर फोन : 0141-2399335
Email : ccosjerajasthan@gmail.com, dcr@rajasthan.gov.in • Website : www.dcrraj.in

कृमि से मुक्ति, बच्चों को शक्ति



कृमि संक्रमण से मुक्ति पायें।

क्या आप जानते हैं कि कृमि संक्रमण से :

1. शरीर और दिमाग का सम्पूर्ण विकास नहीं होता है
 2. कुपोषण और खून की कमी होती है जिसके कारण हमेशा थकावट रहती है
- डीवर्मिंग की दवाई लेने से इसका इलाज आसान है

